ORDER-SHEET

The Electricity Ombudsman, MPERC, 5th Floor, Metro Plaza, Bhopal

Case No. L0030113

Date of order of proceeding	*Order of proceeding with Signature of presiding officer* *मेसर्स नर्मदा एसोशिएट विरूद्ध सी.एम.डी., मप्रमक्षेविविकलि, भोपाल.*	*Signature of parties or pleaders where necessary*
08.10.13	आवेदक अनुपस्थित । अनावेदक की ओर से श्री राजेन्द्र दीवान उपस्थित । (2) उपभोक्ता ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के आदेश दिनांक 27.11.12 के विरूद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हुए यह निवेदन किया था कि फोरम द्वारा अनावेदक को यह निर्देश दिया जाए कि फोरम के आदेश के अनुसार आवेदक को उपर दर्शाएं अनुसार रिबेट सहित बिल प्रदान करें । विवादित राशि की शेष राशि की मांग को लेकर अनावेदक आवेदक के कनेक्शन को डिसकनेक्ट न करें तथा इस रिबेट राशि का समायोजन शेष राशि में करें । साथ ही मौजूदा अभ्यावेदन का खर्चा रू. 5000/– उसे दिलाए जाएं । (3) अभ्यावेदन के आदेश पत्र दिनांक 08.07.13 के अनुसार अनावेदक की ओर से इस आशय का जवाब प्रस्तुत किया गया था कि अनावेदक ने फोरम के आदेश का पालन कर दिया है । अनावेदक द्वारा इस आशय का जवाब प्रस्तुत करने पर आवेदक को उसकी पुष्टि करने के लिए समय दिया गया था । स्थगन दिनांक 24.09.13 को आवेदक की ओर से इस आशय का तर्क किया गया कि फोरम में शिकायत करने के पूर्व आवेदक ने अनावेदक द्वारा जारी किए गए विद्युत देयक का 50 प्रतिशत 30.03.12 को जमा कर दिया था । फोरम ने उसकी शिकायत को स्वीकार किया था, परन्तु अनावेदक की ओर से जो 50 प्रतिशत शेष थी, उस पर प्रतिमाह सरचार्ज लगाया जा रहा है, अतः फोरम में मामले को लंबित रहने तक या मामले में अन्तिम आदेश होने तक ऐसी राशि पर सरचार्ज वसूल नहीं करना चाहिए । इसके अतिरिक्त यह तर्क भी किया गया कि उसने फोरम में इस आशय की शिकायत की थी कि 24 महीनें से अधिक की राशि उससे वसूल नहीं की जा सकती, जबकि फोरम ने 34 महीने की राशि उपभोक्ता से वसूल करने के निर्देश दिए हैं, जो विधिसंगत नहीं है । (4) आज अनावेदक की ओर से उपस्थित श्री दीवान को सुना गया । श्री दीवान ने उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन की ओर ध्यान दिलाते हुए यह तर्क किया कि दिनांक 24.09.13 को उपभोक्ता की ओर से जो तर्क किए जा रहे हैं उसका कोई विवरण उपभोक्ता के अभ्यावेदन में दर्ज नहीं है । फोरम के आदेश के अनुसरण में 12 मार्च 2013 को उपभोक्ता को संशोधित बिल जारी किया गया था और बिल की राशि उपभोक्ता द्वारा जमा कर दी गई है । अब उपभोक्ता से कोई राशि वसूल होना शेष नहीं है और पक्षकारों के मध्य विवाद का निपटारा हो चुका है । (5) उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्क को सुने जाने तथा फोरम के आदेश का अवलोकन करने से यह साबित होता है कि पक्षकारों के मध्य विद्युत देयक के संबंध में जो विवाद था, उसका निराकरण मार्च 13 के जारी किए गए बिलों के द्वारा किया जा चुका है । उपभोक्ता से कितने महीनें की राशि वसूली योग्य थी या उससे सरचार्ज वसूल किया गया था, इसका कोई विवाद अब वर्तमान में मौजूद होना नहीं पाया जाता है । **.....निरन्तर**	

ORDER-SHEET

The Electricity Ombudsman, MPERC, 5th Floor, Metro Plaza, Bhopal

Case No. L0030113

Date of order of proceeding	Order of proceeding with Signature of presiding officer मेसर्स नर्मदा एसोशिएट विरूद्ध सी.एम.डी., मप्रमक्षेविविकलि, भोपाल.	Signature of parties or pleaders where necessary
	पूर्व पृष्ठ से निरन्तर .... (6) उपभोक्ता ऐसी कोई सहायता नहीं पा सकता है, जिसे पाने का निवेदन उसने अभ्यावेदन में न किया हो । उपभोक्ता ने अभ्यावेदन में जो सहायता चाही थी, वह सहायता उसे अनावेदक की ओर से दी जा चुकी है । अतः अब उपभोक्ता अन्य अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं पाया जाता है, अतः उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन निरस्त किया जाता है । **विद्युत लोकपाल** **प्रतिलिपि :** 1. आवेदक की ओर प्रेषित । 2. अनावेदक की ओर प्रेषित । 3. फोरम की ओर प्रेषित । **विद्युत लोकपाल**	